



CIN: U93000DL1989NPL034967



नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

No.: NSFDC/NFSC/NC-SC/2026-27/e-110147/1060

01st अक्टूबर, 2026

श्री वी.आर. विनोद,
उप निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
5वीं और 7वीं मंज़िल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003.

विषय /Sub.: श्री डामेरा विनोद कुमार हिंदुस्तानी, पुत्र श्री यद्वैया, निवासी डी-7, इंदिरा एन्क्लेव, नेब सराय, नई दिल्ली
द्वारा फेलोशिप के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन।/

**Representation of Shri Damera Vinod Kumar Hindustani S/o Shri Yaddaiya R/o D-7,
Indira Enclave, Neb Sarai, New Delhi regarding Fellowship.**

महोदय/Sir,

कृपया आपके पत्र संख्या ESDW/IP/DL/2026/342545 दिनांक 16.09.2026 का संदर्भ लें, जिसके साथ श्री डामेरा विनोद कुमार हिंदुस्तानी, पुत्र श्री यद्वैया द्वारा NFSC योजना के तहत, दिसंबर 2025 का रिज़ल्ट जारी करने में देरी किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक प्रति भेजी गई है।

2. अभ्यावेदन और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का घटनाक्रम और वस्तुस्थिति नीचे दी गई है:

i. National Fellowship for Scheduled Castes Students (NFSC) योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E), भारत सरकार, की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। MoSJ&E ने 01.10.2022 से NFSC स्कीम के लिए National Fellowship for Scheduled Castes Students (NSFDC) को कार्यान्वयन एजेंसी नॉमिनेट किया है। इसके अनुसार, NSFDC नोटिफाइड NFSC स्कीम गाइडलाइंस और MoSJ&E द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस स्कीम को लागू कर रहा है।/

National Fellowship for Scheduled Castes Students (NFSC) Scheme is a Central Sector Scheme of Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJ&E), Government of India. The MoSJ&E has nominated the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) as the Implementing Agency for the NFSC Scheme with effect from 01.10.2022. Accordingly, NSFDC has been implementing the Scheme in accordance with the notified NFSC Scheme Guidelines and the directives issued by MoSJ&E from time to time.

ii. NFSC स्कीम के तहत फेलोशिप NFSC स्कीम की गाइडलाइंस और MoSJ&E द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को पूरा करने पर निर्भर है।/

The Fellowship under NFSC Scheme is subject to fulfilment of NFSC Scheme Guidelines and the directives issued by MoSJ&E from time to time.

iii. NFSC योजना MoSJ&E, की के नाते, इसके प्रावधानों में संशोधन करने वाला प्राधिकारी है; NSFDC को इस योजना के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

पंजीकृत एवं प्र कार्यालय: 14वीं मंज़िल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

Regd. & H.O.: 14th Floor, Core-1&2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092

फोन/ Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax: 011-22054395, 22054349

ई-मेल/ E-mail: support-nsfcd@nic.in • वेबसाइट/ Website : www.nsfcd.nic.in

The MoSJ&E, being the owner of the NFSC Scheme, is the sole authority to amend its provisions; the NSFDC is not authorized to modify any clause of the Scheme.

- iv. NFSC योजना का किर्यान्वयन, एक समर्पित- Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) जिसका प्रबंधन केनरा बैंक द्वारा किया जाता है, के माध्यम से किया जा रहा है।/

The NFSC Scheme is being implemented through a dedicated 'Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP)', which is being managed by Canara Bank.

3. उपरोक्त तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:/ **The clarification regarding the above-mentioned facts is as follows:**

- i. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि NFSC योजना के अंतर्गत UGC-NET दिसंबर 2025 तथा Joint CSIR-UGC NET दिसंबर 2025 के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची MoSJ&E की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 01.09.2026 को NSFDC की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है।/

As per the available records, it is informed that the provisional list of selected candidates under NFSC Scheme for UGC-NET December 2025 and Joint CSIR-UGC NET December 2025 has already been published on the NSFDC website on 01.09.2026, after obtaining approval of the Ministry of Social Justice & Empowerment (MoSJ&E).

- ii. एनएफएससी फेलोशिप प्राप्त करने की व्यापक प्रक्रिया / मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):/**Broad Process for Availing NFSC Fellowship/ Standard Operating Procedure (SOP):**

एनएफएससी योजना (अर्थात् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत) के तहत प्रत्येक वर्ष ऐसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2,000 नई फेलोशिप (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए 1,500 जूनियर रिसर्च फेलो तथा विज्ञान विषय के लिए 500 जूनियर रिसर्च फेलो) प्रदान की जाती हैं, जिन्होंने यूजीसी-नेट/संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया है, ताकि वे एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री के लिए उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान कर सकें। ये फेलोशिप स्लॉट यूजीसी फेलोशिप के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के अंतर्गत चयनित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या के अतिरिक्त हैं। यह योजना एम.फिल./पीएच.डी. करने वाले शोध विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली यूजीसी फेलोशिप योजना के अनुरूप लागू की जाती है।/

NFSC Scheme (i.e. Under MoSJ&E) provides for 2000 new Fellowships (1500 Junior Research Fellows for Humanities/ Social Sciences and 500 Junior Research Fellows for Science stream) per year to such Scheduled Caste students to undertake advanced studies and research leading to M.Phil/Ph.D Degrees, who have qualified UGC NET/Joint CSIR-UGC NET. These slots are over and above the number of SC students selected under the normal reservation policy of the Government for UGC Fellowships. The scheme is implemented on the pattern of the scheme of UGC Fellowships being awarded to research students pursuing M.Phil/Ph.D.

चरण/Step 1	पात्र अनुसूचित जाति का विद्यार्थी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी-संयुक्त सीएसआईआर/नेट-यूजीसी नेट परीक्षा में सम्मिलित होता है।/ An eligible Scheduled Caste student participates in the UGC-NET/Joint CSIR-UGC NET examination conducted by NTA.
चरण/Step 2	एनटीए द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है तथा उपलब्ध एनएफएससी स्लॉट के लिए चयनित/शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची एनएसएफडीसी को उपलब्ध कराई जाती है।/ NTA processes the examination results and provides the shortlisted/selected candidates to NSFDC for the available NFSC slots.
चरण/Step 3	एनएसएफडीसी द्वारा सूची का प्रसंस्करण कर उसे अनुमोदन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।/ NSFDC processes the list and submits it to MoSJ&E for approval.

चरण/Step 4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात, एनएसएफडीसी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित शोधार्थियों को एनएफएससी अवार्ड लेटर जारी किए जाते हैं। एनएफएससी फेलोशिप प्रदान किया जाना, प्रचलित एनएफएससी योजना दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में निहित प्रावधानों की पूर्ति के अधीन है। एनएसएफडीसी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों अथवा चयन मानदंड का स्वतंत्र रूप से निर्धारण नहीं करता है। अतः परिणाम का प्रकाशन एनटीए से सूची प्राप्त होने तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन पर निर्भर करता है। इसलिए, परिणाम के प्रकाशन के लिए एनएसएफडीसी द्वारा कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। Following the approval of MoSJ&E, NSFDC issues NFSC Award Letters to the shortlisted/selected scholars. The award of NFSC Fellowship is subject to fulfilment of the provisions of the extant NFSC Scheme Guidelines and the directions issued by MoSJ&E from time to time. NSFDC functions as the nodal agency of MoSJ&E and does not independently determine the shortlisted candidates or the selection criteria. Accordingly, publication of the result is dependent upon receipt of the list from NTA and approval of MoSJ&E. Therefore, no fixed timeline for publication of the result can be prescribed by NSFDC.
चरण/Step 5	चयनित शोधार्थी एनएफएससी योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रवेश/ज्वाइनिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। Pursuing Candidate: ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में पहले से प्रवेश ले रखा है, को अवार्ड लेटर जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर फेलोशिप के सक्रियण हेतु आवेदन करना आवश्यक है। Non-Pursuing Candidate: ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अभी तक निर्धारित एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है, को एनएफएससी योजना के लागू प्रावधानों के अनुसार अवार्ड लेटर जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर निर्धारित कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है। The selected scholar fulfils the admission/joining requirements prescribed under the NFSC Scheme. In case of a Pursuing Candidate, i.e. a candidate who has already taken admission in the prescribed M.Phil./Ph.D. programme, the candidate is required to apply for activation of the fellowship within 3 months from the date of issue of the Award Letter. In case of a Non-Pursuing Candidate, i.e. a candidate who has not yet taken admission in the prescribed M.Phil./Ph.D. programme, the candidate is required to secure admission in the prescribed programme within 3 years from the date of issue of the Award Letter, as per the applicable provisions of the NFSC Scheme.
चरण/Step 6	शोधार्थी निर्धारित क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एसएफएमपी पर पंजीकरण करता है। The scholar registers on the SFMP using the prescribed credentials.
चरण/Step 7	शोधार्थी अवार्ड लेटर, सत्यापन प्रपत्र-सह-ज्वाइनिंग रिपोर्ट तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज एसएफएमपी पोर्टल पर अपलोड/प्रस्तुत करता है तथा आवश्यक दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को एसएफएमपी पोर्टल पर प्रस्तुत करता है। The scholar uploads/submits the Award Letter, Verification Form-cum-Joining Report and other prescribed documents and submits the requisite documents to the concerned University/Institution on SFMP portal.
चरण/Step 8	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान निर्धारित एसएफएमपी प्रक्रिया के माध्यम से शोधार्थी के विवरण एवं दस्तावेजों का सत्यापन करता है तथा लिकिंग/सक्रियण हेतु अनुरोध एनएसएफडीसी को अग्रेषित करता है। The concerned University/Institution verifies the scholar's particulars and documents

	through the prescribed SFMP process and forwards the linking/activation request to NSFDC.
चरण/Step 9	एनएसएफडीसी विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित विवरण एवं दस्तावेजों की जांच/पुनःसत्यापन करता है तथा लागू एनएफएससी योजना दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन का सत्यापन करता है।/ NSFDC examines/cross-checks the particulars and documents forwarded by the University and verifies compliance with the applicable NFSC Scheme Guidelines and the directions issued by MoSJ&E from time to time.
चरण/Step 10	यदि निर्धारित पात्रता शर्तें एवं दस्तावेजी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, तो फेलोशिप अनुरोध को सक्रियण हेतु संसाधित किया जाता है; अन्यथा अनुरोध अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।/ If the prescribed eligibility conditions and documentary requirements are fulfilled, the fellowship request is processed for activation; otherwise, the request cannot be approved.

यह आपकी जानकारी के लिए है।/ This is for kind information please.

धन्यवाद/ Thanking you,

भवदीय/ Yours sincerely,



(गुलशन कुमार पहाड़िया)

सहायक महाप्रबंधक

Email ID: nfsc.nsfdc@gmail.com

Copy to:

Shri Gaurav Singh Rajawat,
Director, DoSJ&E, MoSJ&E,
8th Floor, GPOA-3, Netaji Nagar,
New Delhi-110023.

- for kind information please.